


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन


अभ्यर्थी का नाम: मोलाराम लेखा
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीय
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: खण्डार 093

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1. व्यय/घटना की तारीख	2. व्यय की प्रकृति			3. कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया)	4. आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
03/11/23	मैग्जिनेशन फार्म	1	50,00	5,000	
06/11/23	प्राप्त-26 स्टाम्प पर	1	50	50	
07/11/23	जनसम्यक् वाइरु प्रेस	2	.	500+200	
08/11/23	पेट्रोल चाय व प्रदीप			1000	
09/11/23	जनसम्यक् पेट्रोल चाय			500	
10/11/23	अवकाश			Nil अवकाश	
11/11/23	जनसम्यक् पेट्रोल चाय			1,000	
12/11/23	अवकाश			Nil	
13/11/23	अवकाश			Nil	
13/11/23	अवकाश	1x10	1500/-	15000/-	
	प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट-द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77				
	व्यय लेखा के अनुसार किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट-द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77				
	और तहरीर तैयार किया गया है				

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट-द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77


 (शंकरलाल मीना)
 प्रभारी लेखादल
 विधान सभा क्षेत्र खण्डार (93)


 A. K. Sharma
 सहायक व्यय पर्यवेक्षक
 विधान सभा क्षेत्र खण्डार (93)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन

अभ्यर्थी का नाम: मोलाराम कोटा

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीय

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया: 290512 - 93

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम

1. व्यय/घटना की तारीख	2. व्यय की प्रकृति			3. कुल राशि रु. में (भुगतान किया गया+बकाया)	4. आदाता का नाम और पता
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर		
11/11/23	जनसभा पट्टे ल काय	1	1000/-	1000/-	
		प्रडाभागे	मोटा	1000/- 25250/-	
12/11/23	-	-	-	MIL	
13/11/23	-	-	-	MIL	
14/11/23	-	-	-	MIL	
15/11/23	-	-	-	MIL	
16/11/23	-	-	-	MIL	
17/11/23	-	-	-	MIL	
	उत्पादक बिना पाठ्य है कि 50R सप्ते. है 70000 रु. बिना पाठ्य है				
	प्रभारी लेखा दल शंकर लाल मीना			सहायक व्यय प्रेषक संजय नारायण	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77

Runej
18-11-23

(Runej Anuj)

ED - 93 Khandaz

